HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Revision Petition No. 824/2023

Satish @ Toran S/o Pooran

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan

----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Harendra Singh
For Respondent(s) : Mr. Ganesh Saini, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

10/07/2023

निगरानीकार–अभियुक्तगण की ओर से यह निगरानी याचिका विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 319 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पारित आदेश दिनांक 11.5.2023 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा उनके विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 181/2016 पर आरोप पत्र प्रस्तुत होकर जो आपराधिक प्रकरण दर्ज हुआ है, उसमें धारा 147, 342, 370 भारतीय दण्ड संहिता में प्रसंज्ञान लिया जाकर याचीगण–अभियुक्तगण को गिरफ्तारी वारंट से तलब किया गया है।

ग्रहणार्थ प्रक्रम पर सुना गया। निगरानीकार/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रकरण में प्रत्यर्थी संख्या 2 कृष्णा कुमारी के दिनांक 25.4.2016 के ससुराल से चले जाने पर उसके पिता ओमप्रकाश द्वारा एक रिपोर्ट पुलिस थाना रूपवास पर प्रस्तुत की गई, जिसके आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 177/2016 अपराध अन्तर्गत धारा 498–ए, 406, 346 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज की गई थी। इस प्रथम सूचना रिपोर्ट पर अनुसंधान पूर्ण किया जाकर अभियुक्तगण श्रीमती गुड्डी, सतीश उर्फ तोरन तथा पूरन सिंह के विरूद्ध धारा 498–ए, 406 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। इस प्रकरण के अनुसंधान काल में प्रत्यर्थी संख्या 2 पीडिता कृष्णा कुमारी दस्तयाब की गई तथा उसके पर्चा बयान लेखबद्ध किए गये। इस पर्चा बयान में उसने दो अन्य व्यक्तियों सोनू व सुखदेव द्वारा स्वयं को

बेचे जाने व बलात्कार करने का कथन किया तथा इसी पर्चा बयान के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 181/2016 अन्तर्गत धारा 342, 370, 376 भारतीय दण्ड संहिता पुलिस थाना रूपबास पर दर्ज हुई। इस प्रथम सूचना रिपोर्ट के सम्बन्ध में अनुसंधान पूर्ण किया जाकर अभियुक्तगण सोनू व सुखदेव के विरूद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसके विचारण की कार्यवाही चल रही थी। इस प्रकरण के विचारण काल में प्रत्यर्थी संख्या 2 कृष्णा कुमारी व अन्य साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गये एवं तत्पश्चात् आलौच्य आदेश के माध्यम से निगरानीकार/ अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 147, 342, 370 भारतीय दण्ड संहिता में प्रसंज्ञान लिया जाकर उन्हें गिरफ्तरी वारंट से तलब किया गया।

योग्य अधिवक्ता निगरानीकार/अभियुक्तगण का तर्क है कि इसी घटना के सम्बन्ध में पीडिता के पिता की रिपोर्ट के आधार पर निगरानीकार/अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 177/2016 दर्ज होकर अनुसंधान के उपरांत अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है तथा विचारण की कार्यवाही चल रही है। ऐसी स्थिति में, इसी घटना के सम्बन्ध में न्यायालय अन्य मामले में उनके विरूद्ध प्रसंज्ञान लेकर कार्यवाही नहीं कर सकता, जबकि विचारण न्यायालय द्वारा आलौच्य आदेश के द्वारा ऐसा किया गया है। अतः आलौच्य आदेश की क्रियान्विति को रोका जाये।

सुना गया एवं विचार किया गया। एक ही घटना के सम्बन्ध में प्रकरण के तीन अभियुक्तगण/याचीगण के विरूद्ध पहले से ही प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 177/2016 में विचारण चल रहा है तथा उसी घटना के सम्बन्ध में पीडिता के पर्चा बयान पर दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 181/2016 में याचीगण–अभियुक्तगण को तलब करने का आदेश आलौच्य आदेश में दिया गया है। अतः यह निगरानी याचिका विचारार्थ ग्रहण की जाती है। अयाची संख्या 2 को नोटिस नियमानुसार जारी हो। प्रकरण चार सप्ताह बाद सूचीबद्ध हो।

आगामी तारीख पेशी तक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश दिनांक 11.5.2023 की क्रियान्विति को स्थगित किया जाता है।

(SHUBHA MEHTA),J

JITENDRA SINGH PANWAR /65